

सचिका स०-७ / बजट-४६-१५/२०२५ - १५४ (७)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भांप्र०स०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- १६/०३/२०२५

विषय:- कटिहार जिलान्तर्गत प्रखंड-कदवा के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया बलॉन के भवन निर्माण कार्य हेतु, वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० २,२०,५१,३००/- (रुपये दो करोड़ बीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परिठि०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्राक-११६७२, दिनांक-०४.०३.२०२५ द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत प्रखंड-कदवा के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया बलॉन के भवन निर्माण कार्य हेतु, वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० २,२०,५१,३००/- (रुपये दो करोड़ बीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

२- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जाएगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संपुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताविक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छ मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राककलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना के सबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

3- यह कार्य माग संख्या-20 के अन्तर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0119-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (सात निश्चय-2), विपत्र कोड-20-4210011100119 अन्तर्गत विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिंग पटना को उपलब्ध करायेंगे जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6- बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाऊचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7- राशि की निकासी वित्त विभाग के पारेपत्र संख्या-2561 वि0(2), दिनांक-17 04 98, 8543 वि0(2), दिनांक-27 11.2007, 3758 / वि0, दिनांक--31.05 2017 एवं 12888 / वि0, दिनांक-03 12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9- प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-04.06.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापाक-65(7), दिनांक-04.06.2025 के क्रम संख्या-04 में अनुशंसा प्राप्त है।


10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य राज्य, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-15/2025 के पृष्ठ-५२ / टि० में प्राप्त है।

12- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

13- सबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव
अप्र०

ज्ञापांक.— 154 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक—16/07/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णिया/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिं०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशास्ना पदाधिकारी, प्रशास्ना—७, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव
A.M.